# POLICE COMMISSIONERATE

# GAUTAM BUDH NAGAR

## सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 14.03.2026

**1. CRT व थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी फर्म बनाकर 01 करोड 74 लाख 11 हजार 987 रूपये की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक **14.03.2026** को **CRT व थाना सेक्टर-58, नोएडा पुलिस टीम** द्वारा फर्जी फर्म बनाकर 01 करोड 74 लाख 11 हजार 987 रूपये की जीएसटी की चोरी करने वाले गिरोह का एक वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र श्री कल्याण सिंह को पूछताछ हेतु थाना स्थानीय पर लाया गया था बाद पूछताछ साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त को थाना परिसर से **गिरफ्तार** किया गया है।

**विवरण--** मैसर्स के0 एस0 इंटर प्राईसेज के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर ऑन लाईन दिनांक 29.07.2024 को जीएसटी नम्बर प्राप्त कर अभियुक्त द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर विभिन्न फर्मों आलम इंटरप्राईजेज, के0एस0 इंटरप्राईजेज, सीपी ट्रेडर्स व ट्रेडियोग्राफी के नाम से फर्जी फर्म तैयार कर वर्ष 2024-25 में बिना किसी वास्तविक खरीद फरोख्त के 1,74,11,987 रूपये (एक करोड चौहत्तर लाख ग्यारह हजार नौ सौ सतासी रूपये) का बोगस आईजीएसटी क्लेम किया गया एवं बोगस इन वर्ड सप्लाई करते हुये अन्य फर्म को आउट वर्ड सप्लाई की गयी। बोगस आईजीएसटी की आईटीसी अपनी आपूर्ति फर्म सीपी ट्रेड को सप्लाई की गयी तथा फर्म मै0 के0 एस0 इंटर प्राईसेज के द्वारा बोगस अस्तित्वहीन फर्म ट्रेडियोग्राफी से बिना वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किये केवल फर्जी प्रपत्रो का आदान प्रदान करते हुये इनवाईस सप्लाई घोषित की गयी एवं बोगस इनवर्ड सप्लाई के सापेक्ष बोगस आईटीसी क्लेम किया गया, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना सैक्टर-58, नोएडा पर दिनांक 25.10.2025 को मु0अ0सं0-387/25 धारा 318(4), 338, 336(3), 340 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था, जिसकी गहन विवेचना तथा उपलब्ध साक्षियो के आधार पर बोगस फर्म के0एस0 इंटरप्राईजेज द्वारा अन्य क्रमशः फर्म आलम इंटरप्राईजेज से खरीद दिखाकर, फर्म सीपी ट्रेडर्स को बिक्री दिखाकर तथा फर्म सीपी ट्रेडर्स द्वारा फर्म ट्रेडियोग्राफी को बिक्री दिखाकर, फर्म ट्रेडियोग्राफी द्वारा जीएसटी क्लेम कर इंपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करते थे। गिरफ्ताशुदा अभियुक्त अमित कुमार द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर फर्जी कागजात तैयार करके आलम इन्टरप्राईजेज, के.एस. इन्टरप्राईजेज तथा सी.पी.ट्रेडर्स बोगस फर्मे बनाई और आई.टी.सी. क्लेम कर दिया, लेकिन आई.टी.सी. क्लेम होने से पहले ही जी.एस.टी. विभाग ने ट्रेडियोग्राफी फर्म बन्द कर दी। जिस कारण जी.एस.टी, रिटर्न नही प्राप्त कर पाये। शुभम कुमार फर्जी फर्मों के मामलो मे ही इस समय भोडसी जेल हरियाणा मे बन्द है। पैसा का हिसाब किताब शुभम ही रखता था, आई.टी.सी क्लेम होने पर शुभम ही सब पार्टनर में पैसा

बांटता था। पूर्व में दिनांक 12-03-2026 को अभियुक्त रोहन गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता निवासी तुगलकाबाद एक्सटेंशन, थाना गोविन्दपुरी, नई दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष की गिरफ्तारी की जा चुकी है एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--** अमित कुमार पुत्र श्री कल्याण सिहं निवासी ए-41 बिन्दापुर पाकेट 4 उत्तम नगर थाना डाबरी द्वारका पश्चिमी नई दिल्ली उम्र 30 वर्ष

**पंजीकृत अभियोग का विवरण--** मु0अ0स0-387/2025 धारा-318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस थाना सैक्टर-58, नोएडा, गौतमबुद्धनगर